(63)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2134–दो/2006 – विरूद्व आदेश दिनांक 17–8–2006 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 154/2005–06 अपील

श्रीमती रामप्यारी उर्फ बिट्टी
पुत्री भॅवरसिंह पत्नि बीरसिंह
ग्राम गोपालपुरा तहसील पोरसा
हाल निवासी ग्राम सेपउ जिला
धौलपुर (राजस्थान) ---आवेदिका

विरूद्व

गोविन्द सिंह पुत्र भॅवर सिंह
ग्राम गोपालपुरा तहसील पोरसा
जिला मुरैना, मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदिका के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश वेलापुरकर)

आ दे श

(आज दिनांक 15 – 2 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 154/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक

17-8-2006 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि खातेदार भॅवर सिंह के नाम पोरसा में खाता क्रमांक 325/2042 पर कुल रकबा 4 वीघा 15 विसवा में से 1/4 भाग , खाता क्रमांक 764/2042 के कुल रकबा 19 वीघा 14 विसा में से 1/2 भाग एंव खाता क्रमांक 693/2042 की भूमि सर्वे क्रमांक 1398 रकबा 4 वीघा 15 विसवा मं से 3 वीघा 12/ विसवा एंव खसरा क्रमांक 34 रकबा 15 विसवा में से 1/60 भाग भूमि थी जिनकी मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 88 पर राजस्व निरीक्षक पोरसा ने आदेश दिनांक 24-6-2086 से मृतक खातेदार के पुत्र अनावेदक का नामान्तरण किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के समक्ष लगभग 19 वर्ष के अंतराल में दिनांक 6-10-2005 को अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह ने प्रकरण क्रमांक 4/2005-06 अपील पंजीबद्ध कर सुनवाई उपरांत अंतरिम आदेश दिनांक 21-6-2006 पारित किया तथा लगभग 19 वर्ष के विलम्ब को क्षमा करते हुये प्रकरण में गुणदोष पर सुनवाई करते हुये आदेश दिनांक 27-2-2006 पारित किया तथा अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण क्रमांक 154/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-8-2006 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर मनन् करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि भूमिस्वामी भॅवर सिंह के मरने के वाद ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 88 पर राजस्व निरीक्षक पोरसा ने आदेश दिनांक 24-6-2086 से मृतक खातेदार के पुत्र अनावेदक का नामान्तरण किया और इस नामान्तरण आदेश के विरूद्ध आवेदिका ने स्वयं् को मृतक भॅवर सिंह की पुत्री बताते हुये अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के समक्ष लगभग 19 वर्ष के अंतराल में दिनांक 6-10-2005 को अपील प्रस्तुत की है। विचार योग्य है कि जब भॅवर सिंह मरा, पुत्री होने के नाते आवेदिका पिता की मृत्यु पर निश्चित्-तौर पर मायके अर्थात भाई के घर आई होगी और यह भी निर्विवाद है कि मृतक पिता के नाम भूमि है इसकी जानकारी आवेदिका को जन्मजात रही है । सामान्य बात है कि जब खातेदार मरता है मृतक के खाते पर धारित भूमियों पर मृतक के स्थान पर उसके वारिसान का नामान्तरण किया जाता है तब आवेदिका ने स्वयं् पहल कर नामान्तरण की कार्यवाही क्यों कराई एंव 19 वर्षो तक नामान्तरण की एंव भूमि के बारे में जानकारी क्या हासिल नहीं की, आवेदिका के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके। इसके विपरीत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक यह समाधान कराने में सफल रहा है कि वह मृतक भॅवर सिंह का एकमात्र पुत्र है एंव आवेदिका न तो उसकी सगी बहिन है एंव न ही उसके पिता की संतान है और जब आवेदिका दोनों अधीनस्थ न्यायालयों में यह समाधान नहीं करा सकी कि

वह मृतक भॅवर सिंह की पुत्री होकर अनावेदक की सगी बहिन है, दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के निष्कर्ष प्रकरण में आये अभिलेख के परीक्षण से समरूप होना पाये गये हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 154/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-8-2006 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर